न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 05/2022

दायर दिनांक – 21.01.2022

निर्णय दिनांक – 02.02.2022

जीसीएमएस नं0 –2022/22

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री लादू पुत्र स्व श्री नानू जाति बावरी निवासी ग्राम नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री एस.के. चौधरी अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर) सत्यमेव जयते

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व ग्राम नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 602 में खातेदारों के नाम नानू, रामा, हरजी पुत्रगण बख्तावर के स्थान पर नानू, रामा, हरजी पुत्रगण लक्ष्मण की इन्द्राज दुरूस्ती करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी पैरोकार सरकार /तहसीलदार, पुष्कर द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार /तहसीलदार, पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/385 दिनांक 25.01.2022 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि राजस्व ग्राम नांद के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी 2072–75 सेग्रीगेशन जमाबन्दी (वर्ष 2018 से स्थायी) खाता संख्या 602 खसरा नम्बर 141/2179 रकबा 0.38 हैक्टेयर पर नानू रामा हरजी पि. बख्तावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:04:03 IST
Reason: SelfAttested

02.2.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

बावरी का अंकन है। वाद संख्या 05/2022 के बिन्दु संख्या 2 अन्तर्गत स्वयं सिद्ध करें। वाद के बिन्दु संख्या 03 अन्तर्गत राजस्व ग्राम नांद के खसरा नम्बर 141/2179 रकबा 0.38 हैक्टेयर का वर्किंग साबिक खसरा 150 मि. रकबा 02 बीघा 07 बीस्वा है जिसका वर्किंग जमाबन्दी के खाता 1 में सिवायचक भूमि से छोटी पट्टी आवंटन द्वारा नामान्तरकरण संख्या स्वीकृत दिनांक 14.07.95 द्वारा हरजी नानू रामा पि. बख्तावर कौम बावरी सा. के नाम आवंटन हुई है तथा प्रकरण बाबत् ग्रामवासियों द्वारा जानकारी प्राप्त गई। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया की हरजी, नानू, रामा, के पिता का नाम है तथा बख्तावर दादा है तथा वर्किंग के अन्य खाता संख्या 310 आदि में वल्द लक्ष्मण बावरी का अंकन है। जमाबन्दी संलग्न है। अतः वाद संख्या 2022 में वादग्रस्त आराजीयात में हरजी, नानू, रामा पि. बख्तावर के स्थान नानू, रामा, पि. लक्ष्मण जाति बावरी की दुरस्ती किया जाना उचित है।''

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति पत्र, इत्यादि से यह प्रतीत है कि राजस्व ग्राम नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के जमाबन्दी के खाता संख्या 602 में खातेदारों के नाम नानू, रामा, हरजी पुत्रगण के स्थान पर नानू, रामा, हरजी पुत्रगण लक्ष्मण की इन्द्राज दुरूस्ती करना में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम नांद पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खाता 602 में खातेदारों के नाम नानू, रामा, हरजी पुत्रगण बख्तावर के स्थान पर नानू, हरजी पुत्रगण लक्ष्मण जाति बावरी दर्ज की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2022 को मेरे द्वारा इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:04:03 IST
Reason: SelfAttested

02.2.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)